प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला चौकी ,एसीबी, अजमेरथाना सोपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष, 2021
प्र.इ. रि. स. <u>95/22</u> दिनांक <u>23/3/22</u>
2. (अ) अधिनियम ५० नि० अधिनियम १९८८धारायें७ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम २०१८
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें
(स) अधिनियम धारायें
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें
 (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ५५/ समय 6.7.20 श्रिकः
(ब) अपराध घटने का दिन—दिनांक 30.08.2021 समय दोपहर
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 29.08.2021 समय01.00 पीएम
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण-पूर्व 8 किमी
(ब) पता — कनिष्ठ अभियंन्ता, दौराई रेल्वे स्टेशन अजमेर, बीट सख्या
जरायमदेही सं
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना
6 परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम श्री महेन्द्र कुमार
(ब) पिता का नाम श्री प्रेमराज
(स) जन्म तिथि /वर्ष 55 साल
(द) राष्ट्रीयताभारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने को तिथीजारी होने को तिथी
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय अध्यापक
(ल) पता नेहरु गेट विटठ्ल बस्ती, चिमन सिंह लोढा गली, ब्यावर, अजमेर हाल अध्यापक रा० उ० प्रा० विधायल नीमझर, तइसील
देवगढ जिला, राजसमन्द
7 ज्ञात / अज्ञात संदि <mark>ध अभियुक्तों का ब्यौरा तम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-</mark>
1. श्री अफजल खान पुत्र श्री मौहम्मद यसिन, निवासी लोधा का बाडिया पोस्ट कलाड तहसील ब्यावर जिला
अजमेर हाल ट्रेकमेन्टेनर-IV / ट्रोली मैन अधीन एसएसई/पीडब्ल्यू/ बागड ग्राम, उतरी पश्चिम रेलवे मण्डल
अजमेर
8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :—कोई नही
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य नंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)
3, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवा में, श्रीमान् अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर विषय रिश्वत मांगने की शिकायत के संबंध में। "निवेदन है कि मेरा नाम महेन्द्र कुमार जूनवाल है तथा मैं नेहरू गेट विटउल बस्ती ब्यावर जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। करीब पांच-छः महिने पहले मेरी मुलाकात ब्यावर के पास गढी थोरीयान गांव (बायला) के रहने वाले अफजल खान से जान-पहचान ह्यी। अफजल ने स्वयं को रेलवे स्टेशन दौराई अजमेर पर कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदस्थापित होना बताया। उसने मुझे कहां कि रेलवे में महेश मीणा जो अजमेर में बड़े पद पर लगे हुए है उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। उसने मुझे कहा कि इनके पास एक पद हेतु स्थायी नौकरी लगाने की पावर है। इस सन्दर्भ में मेरे बेटे मनीष कुमार जूनवाल की नौकरी की बात हुयी, तो उसने कहा कि पहले बंगला पीऑन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के रूप मे दो–तीन साल का अनुभव बताकर रेलवे में ग्रुप डी में मेरे बेटे को भर्ती का रखने का वायदा किया एवं सवा तीन लाख रूपये की रिश्वत की मांग की है। अफजल ने एक आवेदन फार्म भी भरवाया तथा रेलवे अस्पताल से मेडिकल फिट का प्रमाण पत्र जिनकी छाया प्रति प्रार्थना पत्र के संलग्न है। उसने मुझसे सवा तीन लाख रूपये मांगे तब मेने मेरे खाता संख्या 0376514000065 यस बैंक देवगढ राजसमन्द का राशि 3,25,000 रू0 दिनांक 09.06.21 का चैक दिया जो इसने बैंक में लगा दिया। परन्तु मेरे खाते में पैसे नहीं होने के कारण वो चैक क्लीयर नहीं हो सका। श्री अफजल मेरे पुत्र श्री मनीष कुमार जूनवाल को ग्रुप डी रेलवे में लगवाने की एवज में 3,25,000 रू० रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उसे रिश्वत नहीं देकर

रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कार्यवाही करें।" प्रार्थी महेन्द्र कुमार जूनवाल, नेहरु गेट बाहर विट्ठल बस्ती ब्यावर अजमेर, दिनांक 29.08.2021 मो०न० 9414739097

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समय 01.00 पीएम दिनांक 29.08.2021 उपरोक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेमराज जाति रेगर उम्र 55 साल निवासी नेहरु गेट विटठ्ल बस्ती, चिमन सिंह लोढा गली, ब्यावर, अजमेर हाल अध्यापक रा० उ० प्रा० विधायल नीमझर, तहसील देवगढ जिला, राजसमन्द ने उपस्थित कार्यालय होकर मन पुलिस निरीक्षक मीरा बेनीवाल के समक्ष्य प्रस्तुत की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया तो सही होना स्वीकार किया। परिवादी से दरियाफत की तो बताया कि ''दौराई रेल्वे स्टेशन पर कार्यरत श्री अफजल खान, कनिष्ठ अभियंता मेरे बेटे मनीष कुमार को रेल्वे के बड़े अफसर श्री महेश मी णा को कहकर उसके नाम से 3.25 लाख रुपये रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ।" परिवादी से दरियाफ्त की गई तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि श्री अफजल खान कनिष्ठ अभियन्ता मेरे बेटे मनीष कुमार को रेलवे के बड़े अफसर श्री महेश मीणा को कहकर उसके नाम से 3.25 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। जो मैं नहीं देना चाहता हूं। मेरी श्री अफजल से कोई रंजिश व उधार का लेन-देन बकाया नहीं हैं। दिनांक 30.08.21 को परिवादी के उपस्थित आने पर परिवादी को डिजीटल वॉइस रेकार्डर ऑयरेट करना समझाकर मय मैमारी कार्ड के सूपुर्द कर कानिस्टेबल त्रिलोक सिंह नं0 24 को भेजकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेत् भिजवाया। जिस पर अफजल खान ने 3.25 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर परिवादी ने उसे 50,000 रू० की व्यवस्था कर दो-तीन दिन में देने के लिए कहा तथा बाकि पैसे बाद में देने के लिए कहा। वॉइस रेकार्डर में रेकार्ड वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादी ने रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 05.09.21 तक उपस्थित आने का कहा। जिस पर परिवादी को रूख्स्त किया गया। दिनांक 04.09.21 को परिवादी से जिरए दूरभाष वार्ता हुयी तो उसने अपना एम्स जोधपुर में ऑपरेशन होना बताते हुए दिनांक 08.09.21 तक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा। दिनांक 08.09.21 को श्री महेन्द्र कुमार परिवादी उपस्थित कार्यालय आया तथा दो स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री पीयूष पारीक सहायक द्वितीय एवं श्री दिनेश सक्सैना सहायक प्रथम संस्थापन शाखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के उपस्थित आने पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय कराया तथा गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाहने पर दोनों गवाहान ने स्वैच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादी एवं गवाहान की मौजुदगी में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए तथा उक्त वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से दो डब सीडी आईओ व आरोपी हेतु तैयार की गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्डिचिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए। इसके बाद परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,000–2,000 रू० के 25 नोट कुल 50,000 रू० पेश किये। जिनके नम्बर फर्द में अंकित कर कार्यालय के श्री श्योपाल कानि० नं० २७२ से फिनोफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गए। दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को फिनोफ्थलीन पावडर व सोडियम कार्बोनेट पावडर की रासायनिक प्रक्रिया समझायी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए। तत्पश्चात परिवादी व गवाहान का सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों से आपस में परिचय कराया गया। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। परिवादी को लेन–देन वार्ता रेकार्ड करने हेतु डिजीटल वॉइस रेकार्डर सुपुर्द करना चाहा तो बताया कि मैं पहले अफजल खान से उसके मोबाईल नं0 9001190036 पर बात कर उसकी लोकेशन मालुम कर लेता हूं। इस पर वॉइस रेकार्डर का स्पीकर ऑन कर परिवादी के मोबाईल नं0 9414739097 से फोन मिलाकर वार्ता करायी तो आरोपी ने दौराई रेलवे स्टेशन पर बुलाया उक्त वार्ता रेकार्ड की गई एवं परिवादी को डिजीटल वॉइस रेकार्डर ऑपरेट करना समझाकर सुपुर्द किया गया। इसके बाद नन् निरीक्षक पुलिस मय कैलाश कानि0, स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप–प्रिण्टर मय सरकारी वाहन मय चालक शिव सिंह कानिस्टेबल नं0 547 व श्री प्रभुलाल निरीक्षक पुलिस, श्री रामचन्द्र हैड कानि0, श्री

त्रिलोक सिंह कानि० मय परिवादी श्री महेन्द्र निजी वाहन से एवं श्री राजेश कानि० व श्री किरण कुमार किनष्ठ सहायक के निजी स्कूटर से दौराई रेलवे स्टेशन अजमेर की तरफ वास्ते ट्रेप कार्यवाही हैतु रवाना हुए। दौराई रेलवे स्टेशन के पास पहुचकर परिवादी को रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया। परिवादी रेलवे स्टेशन के अन्दर गया व बिना ईशारा किये ही वापस चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। इस पर परिवादी से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि श्री अफजल खान रेलवे स्टेशन पर नहीं मिला। मेने उससे मोबाईल पर बात की तो उसने साहब के साथ चितोडगढ के लिए निकलना बताया ओर शाम को सम्पर्क करने हेतु कहा। कानिस्टेबल राजेश को परिवादी को अपनी स्कूटी पर बैठाकर ब्यूरो कार्यालय पहुचने हेतु निर्देशित किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरों कार्यालय अजमेर पहुचे। जहां परिवादी व राजेश कानिस्टेबल भी उपस्थित मिले। परिवादी से वॉइस रेकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी से रिश्वत राशि के नोट खाकी रंग के लिफाफे में रखवाकर प्राप्त किये गए। तत्पश्चात परिवादी व गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 08.09.21 को परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुयी वार्ता को सुनकर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गए एवं उक्त वार्ता की दो सीडी आरोपी व आईओ हेतु तैयार की जाकर अलग-अलग कागज के लिफाफे में रखी गयी। मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सिल्डिचट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर आलमारी में सुरक्षित रखे गये। इसके बाद कुछ दिन तक आरोपी ने परिवादी से सम्पर्क नहीं किया। दिनांक 27.11.21 को परिवादी ने जरिए दूरभाष बताया कि मेरी आज श्री अफजल से बात हुयी उसने मेरे द्वारा पूर्व में उसको दिये गए एक लाख रूपये लौटाने के लिए कहा तथा कल दिनांक 28.11.21 को रूपये लेने के लिए मुझे अजमेर बुलाया है। परिवादी को दिनांक 28.11.21 को उपस्थित आने के लिए कहा गया। दिनांक 28.11.21 को परिवादी ने जरिए दूरभाष बताया कि आज सुबह मेरी अफजल से बात हुयी तो उसने कहा कि हमारे विभाग के कर्मचारी की मृत्यु हो जाने से खरवा तहसील ब्यावर आया हुआ हूँ। मैं दो-तीन बजे तक अजमेर आकर आपसे मिलता हूँ। मैं मेरे जीजाजी के पास नारेली रूका हुआ हूँ अफजल के अजमेर आते ही सूचित करूंगा। सायं तीन पीएम पर परिवादी से वार्ता की तो उसने बताया कि मेरी अफजल से थोड़ी देर पहले ही बात हुयी है उसने कहां कि मैं फी होकर आपको फोन कर दूंगा। सायं 5 पीएम पर परिवादी ने फोन पर कहा कि अभी तक अफजल अजमेर नहीं आया है अब उसके आने की सम्भावना भी नहीं है। मेरे घर पर जरूरी काम है, जैसे ही अफजल का फोन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गयी। दिनांक 25.12.21 को परिवादी महेन्द्र कुमार ने जिए दूरभाष बताया कि मेने कई बार अफजल से मोबाईल पर बात करने की कोशिश की लैकिन उससे मेरा सम्पर्क नहीं हो सका। अफजल ने दिनांक 28.11.21 को मेरे यस बैंक के खाता नम्बर 037651400006524 में 80,000 रू० व 20,000 रू० कुल एक लाख रू० जमा करा दिये है। क्योंकि उसके पास मेरा चैक है जिसमे खाता नम्बर अंकित है। श्री अफजल ने मेरे खाते में रूपये ट्रांसफर करने का स्कीन शॉट मेरे जीजाजी श्री अशोक के मोबाईल पर वाट्सएप पर भेजा ओर मेरे जीजाजी ने मुझे वाट्सएप पर मैसेज किया। मुझे पूरा विश्वास है कि अफजल अब मेरे से पैसे नहीं लेगा। इस पर परिवादी को दिनांक 27.12.21 को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 27.12.21 को परिवादी उपस्थित कार्यालय आया और पूछताछ करने पर बताया कि मैने कई बार श्री अफजल से मोबाईल पर बात करने की कोशिश की मगर उससे सम्पर्क नहीं हुआ। श्री अफजल ने मेरे लडके मनीष कुमार को रेलवे में भर्ती करवाने के लिए मेरे से 4.50 लाख रू० मांगे थे। मेने श्री अफजल को एक लाख रूपये जून,2021 में नगद दिये थे। अब श्री अफजल को शायद शक हो गया है इसलिए उसने मुझे पूर्व में ली गई रिश्वत राशि एक लाख रू0 दिनांक 28.11.21 को मेरे खाते में जमा करा दिये हैं। श्री अफजल अब मेरे से रिश्वत नहीं लेगा। अब इसमे आगे कोई कार्यवाही की सम्भावना नहीं है। परिवादी ने रिश्वत राशि 50,000 रू0 लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तृत किया, जिस पर उक्त राशि परिवादी को लौटायी गयी।

उपरोक्त तथ्यो एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अफजल खान ट्रोली मैन द्वारा परिवादी के पुत्र श्री मनीष कुमार को रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती कराने के नाम पर पूर्व में 4.50 लाख रू० रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी से एक लाख रूपये प्राप्त करना एवं दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 3.25 लाख रू० मांगते हुए 1.25 लाख रू० तत्काल देने के लिए कहा। जिस पर परिवादी द्वारा 50,000 रू० दो—तीन दिन में देने की

muy

कहा। शेष रूपये सितम्बर माह के अंत तक देने के लिए कहा। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया जो आरोपी श्री अफजल खान, ट्रोली मैन का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का कारित करना पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री अफजल खान, ट्रोली मैन उत्तरी पश्चिम रेलवे अजमेर द्वारा परिवादी के पुत्र श्री मनीष कुमार को रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती कराने के नाम पर पूर्व में 4.50 लाख रू० रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी से एक लाख रूपये प्राप्त करना एवं दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 3.25 लाख रू० मांगते हुए 1.25 लाख रू० तत्काल देने के लिए कहा गया जिस पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा 50,000 रू० दो—तीन दिन में देने की कहा गया तथा शेष रूपये सितम्बर माह के अंत तक देने के लिए कहा। इस प्रकार आरोपी श्री अफजल खान द्वारा रिश्वत राशि मांग करना पाया गया है। श्री अफजल खान पुत्र श्री मौहम्मद यासिन, निवासी लोधा का बाडिया पोस्ट कलाड तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल ट्रेकमेन्टेनर—IV / ट्रोली मैन उत्तरी पश्चिम रेलवे अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का कारित करना पाया जाने आरोपी श्री अफजल खान के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(मीरा बेनीवाल) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अफजल खान, ट्रेकमेन्टेनर-IV /ट्रोली मैंन अधीन एसएसई/पीडब्ल्यू/बागड ग्राम, उत्तरी पश्चिम रेलवे मण्डल अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 95/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 843-47 दिनांक 23.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर समन्वय, उत्तर पश्चिम रेल्वे, अजमेर।
- 4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

पुलिस अधिक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।